हिंदी दैनिक खबर

हर पल, हमारी खबर

केशववाणी

गुरुवार 7 मई 2026 बर्ष 02 अंक 120 पृष्ठ 4

www.keshavtv24.com

Email:keshavtvbihar@gmail.com

अनमोल वचन

जीवन में चुनौतियों का सामना करना अनिवार्य है, लेकिन उन्हें हल करना आपके अंदर की ताकत और क्षमता का परिचय देता है।

बिहार कैबिनेट की बैठक में 20 बड़े फैसलों पर मुहर

ई–बस, AI प्रशिक्षण, गंगा कटाव रोकने और शहरी विकास को लेकर कई अहम निर्णय

नगरपालिका चुनाव में e-Voting सिस्टम लागू होगा, सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का नाम बदला

केशववाणी रानी सिन्हा की रिपोर्ट पटना। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में उद्योग, नगर विकास, जल संसाधन, परिवहन, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्व एवं पथ निर्माण विभाग से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए। उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर पटना एयरपोर्ट परिसर से सटी बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) की 1.85 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज–2025 की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव पर नगरपालिका आम एवं उपचुनाव 2026 में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, गंभीर रूप से बीमार और प्रवासी मतदाताओं के लिए e-Voting सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए C-DAC, हैदराबाद को एजेंसी बनाया गया है। इस योजना पर लगभग 31.45 लाख रुपये खर्च होंगे। जल संसाधन विभाग की कई योजनाओं को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी। बक्सर, बल्ली. टोला, सबलपुर पछियारी टोला और गनियारी क्षेत्रों में गंगा नदी के कटाव निरोधक कार्यों के लिए 170 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर पीएम ई–बस सेवा योजना के तहत 400 इलेक्ट्रिक एसी बसों के 12 वर्षों तक संचालन के लिए अतिरिक्त 313.96 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। अब इस योजना की कुल राशि बढ़कर 517.16 करोड़ रुपये हो गई है। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर बीआईटी

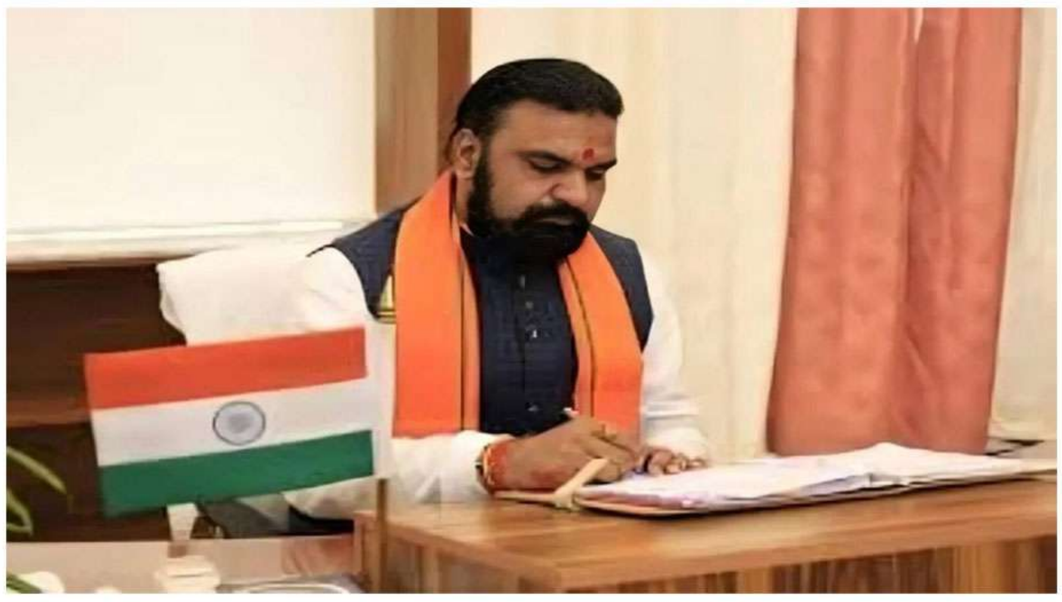

मेसरा, रांची के पटना विस्तार केंद्र के लिए बिहार सरकार और संस्थान के बीच हुए समझौते की अवधि 2030 तक बढ़ा दी गई। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर सीतामढ़ी के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नाम बदलकर "माता सीता चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सीतामढ़ी" करने की मंजूरी दी गई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव पर बिहार विधानमंडल के सदस्यों और सरकारी अधिकारियों–कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के चयन को स्वीकृति दी गई। राज्य के चयनित शहरी क्षेत्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विश्व बैंक से 500 मिलियन डॉलर ऋण सहायता लेकर "बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम" लागू करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। पथ निर्माण विभाग के तहत राज्य की 19,305 किलोमीटर लंबी सड़कों के रखरखाव और निरीक्षण के लिए AI एवं ML तकनीक आधारित प्रणाली लागू करने को मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर लगभग 15,967 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अरवल, शेखपुरा और शेखोपुरसराय में केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए सरकारी भूमि को एक रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों की लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से जुड़े मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए दरभंगा और मधुबनी न्यायालयों में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय हेतु 18 नए अराजपत्रित पदों के सृजन को स्वीकृति मिली। वित्त विभाग के प्रस्ताव पर सरकारी सेवकों एवं पेंशनभोगियों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से अग्रिम वेतन, पेंशन और ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रस्ताव पर राज्यपाल एवं राज्यपाल सचिवालय के उपयोग के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में छह नए मोटर वाहनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई।

बिहार में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी व्यवस्था हुई डिजिटल

अब ऑनलाइन आवेदन के बाद ही मिलेगा अवकाश, एचआरएमएस बिहार ने दिया प्रशिक्षण

केशववाणी रानी सिन्हा की रिपोर्ट पटना। बिहार सरकार प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और व्यवस्थित बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में एचआरएमएस (एचआरएमएस) बिहार की टीम द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा उसके अंतर्गत आने वाले सभी निदेशालयों के स्थापना शाखा से जुड़े कर्मियों को "लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल" का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवकाश प्रबंधन से जुड़ी नई ऑनलाइन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई।

अब केवल ऑनलाइन आवेदन से मिलेगी छुट्टी

प्रशिक्षण में बताया गया कि अब विभागीय कर्मियों को अवकाश के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। बिना ऑनलाइन आवेदन के अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने से अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और व्यवस्थित होगी। एचआरएमएस टीम ने प्रशिक्षण के दौरान ऑनलाइन आवेदन, अवकाश की स्थिति की ट्रैकिंग, स्वीकृति प्रक्रिया तथा रिकॉर्ड प्रबंधन जैसे विभिन्न फीचर्स की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कर्मियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया, ताकि नई प्रणाली को सुचारू रूप से लागू किया जा सके।

कागजी प्रक्रिया पर घटेगी निर्भरता

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि इस डिजिटल पहल से कागजी प्रक्रिया पर निर्भरता कम होगी और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली लागू होने के बाद अवकाश प्रबंधन से जुड़े विवादों और त्रुटियों में भी कमी आने की संभावना है।

ई–गवर्नेंस को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार की यह पहल ई–गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सरकार का मानना है कि भविष्य में अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी इसी प्रकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर कामकाज को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया जाएगा।

खान सर को हरनौत में किया भव्य स्वागत

केशववाणी राकेश कुमार की रिपोर्ट हरनौत (नालंदा)। खान सर आज के समय किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हजारों की संख्या में छात्र उनसे पढ़ते हैं। खान सर का पूरा नाम फैजल खान हैं।वे फेमस यूट्यूबर के साथ–साथ भारत के सबसे लोकप्रिय और चर्चित शिक्षकों में से एक हैं।पटना के रहने वाले खान सर ओरिजननी बिहार के नहीं बल्कि यूपी के देवरिया से हैं। वे भारत में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मशहूर शिक्षक के साथ–साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी है। वहीं बुधवार को खान सर बख्तियारपुर–रजौली फोरलेन से होकर नवादा जाने के क्रम में हरनौत बाजार के विश्वकर्मा चौक पर नालंदा लक्ष्य खेल अकादमी के अध्यक्ष प्रमोद कुमार के नेतृत्व में भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस दौरान हरनौत नपं के उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सह समाजसेवी सुरेश सिंह ,अमित आदि ने फुले देकर एवं अंगवस्त्र ओढ़ाकर खान सर का भव्य स्वागत एवं अभिनन्दन किया।खिलाड़यां, अभिभावकों एवं पदाधिकारियों द्वारा खान सर के आगमन को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। उपस्थित लोगों ने खान सर के शिक्षा क्षेत्र में योगदान की सराहना की तथा उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उधर चेरो सूर्य मंदिर तालाब स्थित फोरलेन पर समाजिक युवा कार्यकर्ता कमलेश कुमार के नेतृत्व में स्वागत किया गया। मौके रौशन कुमार ,अजीत , विकास ,रविशंकर,परिसर आशा,आभा ,अंजली, प्रीति, पल्लवी, रुकमणी ,सिमरन,संतोष कुमार ,संजय समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे।

नालंदा में उर्वरक वितरण में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई

16 खाद प्रतिष्ठान निलंबित, 4 से मांगा गया स्पष्टीकरण

कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए कृषि विभाग का औचक निरीक्षण अभियान जारी

केशववाणी शंकर कुमार सिन्हा की रिपोर्ट बिहार शरीफ (नालंदा)। नालंदा जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था में अनियमितता को लेकर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कृषि पदाधिकारी के नेतृत्व में सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उर्वरक प्रतिष्ठानों का लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण अभियान के दौरान उर्वरक वितरण प्रणाली की गहन जांच की गई। यह कार्रवाई किसानों को उचित दर पर खाद उपलब्ध कराने तथा कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा पूर्व में किए गए निरीक्षण में दो उर्वरक प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाए जाने पर उनके लाइसेंस निलंबित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। वहीं 05 मई 2026 को हुई गहन समीक्षा एवं जांच के बाद एक ही किसान को निर्धारित सीमा से अधिक उर्वरक बिक्री करने के मामले में 16 उर्वरक प्रतिष्ठानों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही चार अन्य प्रतिष्ठानों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। कार्रवाई की जद में आने वाले प्रतिष्ठानों में मे० अयांश ट्रेडर्स (इस्लामपुर), मे० लक्ष्मी खाद भंडार (सरमेरा), मे० हरिनारायण खाद भंडार (हिलसा), मे० जमुआवां पंचायत पैक्स (एकंगरसराय), मे० किसान खाद भंडार (अस्थावां), मे० सुधीर खाद भंडार (नरसंडा–चंडी), मे० पूजा ट्रेडर्स (नूरसराय), मे० हरितक्रांति खाद भंडार (चंडी), मे० सहयोग वूमेन जीविका प्रो० कं० लि० (बिहारशरीफ), मे० श्रीराम ट्रेडर्स

(परवलपुर), मे० मयूर इंटरप्राइजेज (एकंगरसराय), मे० केसर खाद भंडार (नूरसराय), मे० पारस ट्रेडर्स (चंडी), मे० पोआरी पंचायत पैक्स लि० (हरनौत), मे० बाराखुर्द पंचायत पैक्स लि० (नूरसराय) तथा मे० शुभम ट्रेडर्स (चंडी) शामिल हैं।

इन प्रतिष्ठानों से मांगा गया जवाब

वहीं मे० सागर इंटरप्राइजेज (गिरियक), मे० माँ भवानी ट्रेडर्स (राजगीर), मे० कृष्णा ट्रेडर्स (सरमेरा) एवं मे० केशोपुर पंचायत पैक्स लि० (एकंगरसराय) से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 06 मई 2026 तक जिले में 8850 मीट्रिक टन यूरिया तथा 2402 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। जिला कृषि पदाधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही निर्धारित मात्रा में उर्वरक खरीदें। साथ ही किसी भी प्रकार की अनियमितता, अधिक कीमत वसूली या कालाबाजारी की सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि उर्वरक वितरण में पारदर्शिता एवं सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह निरीक्षण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

मलमास मेला के पहले दिन ही उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, 2015 में लगाया गया था मेला में थियेटर पर पाबंदी

मलमास में तैंतीस कोटि देवी–देवता होते हैं राजगीर में विराजमान

केशववाणी अनुमंडल संवाददाता, राजगीर। राजीव लोचन की रिपोर्ट राजगीर(नालंदा)। प्रसिद्ध ऐतिहासिक व धार्मिक मलमास मेला में अब महज 11 दिन ही शेष बचे हैं। मेला 17 मई से शुरू होगा। इस मेला का काफी धार्मिक महत्व है। इसमें देश के कोने–कोने से साधु–संत आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मलमास मेला के समय तैंतीस कोटि देवी–देवताओं का वास राजगीर में ही होता है। इस कारण यहां आकर कुंड में स्नान करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। लोगों ने कहा कि इस धार्मिक मेला में सरकार ने काफी सुविधाएं दी है। लोगों ने इसे पूरी तरह से धार्मिक बनाने की मांग की। मेला के दौरान थियेटर में होने वाले अश्लील प्रदर्शन पर पूरी तरह से पाबंदी होना चाहिए। इस तरह के आयोजनों से इससे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचता है। वहीं मेला में आने वाली म.ि हलाओं को भी शर्मशार होना पड़ता है। वहीं साधु–संतों को भी इससे परेशानी होती है। इससे पहले 2015 में साधु–संतों ने थियेटर के लगने पर नाराजगी जतायी थी। उसके बाद उनके मांग पर 2015 में थियेटर लगाने पर प्रशासन ने पाबंदी लगा दी गयी थी। उस साल मेला में थियेटर की जगह जागरण नाम देकर इसका आयोजन किया गया था। हालांकि वह जागरण लिखने मात्र तक ही सीमित रह गया था। बाकी सब कुछ थियटेर के जैसा ही था।

लोगों ने कहा कि प्रशासन को थियेटर पर पूरी तरह से पाबंदी करनी चाहिए। उसके जगह पर मेला क्षेत्र में भजन–कीर्त्तन का आयोजन हो। मेला में लोग स्नान करने के उद्देश्य से आते हैं। ऐसे में उन्हें पूरी भक्ति का माहौल देना जरूरी है। लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन को एक बार फिर से सोच बनाने की जरूरत है और मेला में थियेटर पर पाबंदी लगानी चाहिए।

मेला के पहले दिन जुटेगी भारी भीड़

अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री सह पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र उपाध्याय जी बताते हैं कि 17 मई से मलमास मेला शुरू होगा। मेला के पहले ही दिन रविवार पड़ रहा है। इस कारण पहले ही दिन काफी भीड़ जुटेगी। मेला में तीन शाही स्नान होंगे। पहला शाही स्नान 27 मई एकादशी, दूसरा 31 मई रविवार पूर्णिमा व तीसरा शाही स्नान 11 जून एकादशी को होगा। इसके अलावा 17 मई रविवार, 25 मई गंगा–दशहरा दिन सोमवार, 14 मई रविवार चतुर्दशी को भी काफी भीड़ जुटेगी। इन शुभ दिनों में साधु–संतों के अलावा लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां के विभिन्न कुंडों में स्नान करते हैं।

मेला में आने वाले सिंगल श्रद्धालु के सामान रखने की हो व्यवस्था

मलमास मेला के समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कुछ श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो अकेले बैग लेकर मेला में स्नान की मंशा लिए चले आते हैं। प्रशासन के द्वारा ऐसे श्रद्धालुओं के बैग रखने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। इससे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार तो उनका बैग भूल जाता है और वे परेशान होकर यहां से निराश होकर वापस लौट जाते हैं। लोगों का मानना है कि इस बार प्रशासन कुछ ऐसा करे कि सिंगल आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी अलग से बैग व चप्पल रखने की व्यवस्था कराये।

मलमास मेला में मांस मछली बिकने पर लगे प्रतिबंध - त्रिलोक सिंह निषाद

केशववाणी प्रेम सिंघानिया की रिपोर्ट बिहारशरीफ (नालंदा)। बिहार सिख फेडरेशन के संस्थापक त्रिलोक सिंह निषाद ने एक बयान जारी कर कहा कि राजगीर सभी धर्मों के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल होने के साथ–साथ एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है। यहां देश–विदेश से हजारों की संख्या में विभिन्न धर्मों के श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शन और भ्रमण के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि तीन वर्षों के अंतराल के बाद इस वर्ष 2026 में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 17 मई को धार्मिक ध्वज फहराकर मेले का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से संत–महात्मा, अखाड़ों के साधु–संत तथा हजारों की संख्या में श्रद्धालु और सेवक मेले में भाग लेंगे। मेला अवधि के दौरान श्रद्धालु निरंतर धार्मिक अनुष्ठान, भजन–कीर्तन और पूजा–अर्चना में संलग्न रहेंगे। इस मेले का विशेष धार्मिक महत्व होने के कारण बड़ी संख्या में आस्था का संगम देखने को मिलेगा। त्रिलोक सिंह निषाद ने बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि मलमास मेला की अवधि तक राजगीर क्षेत्र में मांस एवं मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे और मेले का वातावरण पूरी तरह पवित्र एवं शांतिपूर्ण बना रहे।

नालंदा में 19 मई को लगेगा पंचायत स्तरीय 'सहयोग शिविर'

डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, आम लोगों की शिकायतों का होगा त्वरित समाधान

केशववाणी शंकर कुमार सिन्हा की रिपोर्ट बिहारशरीफ (नालंदा)। नालंदा जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ सुलभ कराने के उद्देश्य से 19 मई 2026 को पंचायत स्तर पर "सहयोग शिविर अभियान" आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर मंगलवार को जिला पदाधिकारी श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने कहा कि राज्य सरकार के सात निश्चय–3 अंतर्गत "सबका सम्मान, जीवन आसान" के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को सभी सरकारी कार्यालयों में आम लोगों की शिकायतों का सम्मानपूर्वक निष्पादन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायतवार सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य लोगों को सीधे अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर देना है, ताकि उनका त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। जिला प्रशासन द्वारा 19 मई को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर के लिए विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में जिला स्तरीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला पदाधिकारी श्री कुंदन कुमार बिहारशरीफ प्रखंड की मुरौरा पंचायत में शिविर की अध्यक्षता करेंगे। वहीं उप विकास आयुक्त श्री शुभम कुमार हरनौत प्रखंड के बसनियावां एवं चौरीया पंचायत, नगर आयुक्त कुमार निशांत विवेक रहुई प्रखंड के दोसुत एवं सुपासंग पंचायत, अनुमंडल पदाधिकारी किसलय श्रीवास्तव सरमेरा प्रखंड तथा अनुमंडल पदाधिकारी सूर्य प्रकाश गुप्ता राजगीर प्रखंड में शिविर की निगरानी करेंगे। इसी प्रकार जिले के सभी प्रखंडों की पंचायतों में अलग–अलग प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्धारित पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से सुनिश्चित कराएं। शिविर में संबंधित पंचायत के सभी कर्मियों एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की समय पर उपस्थिति अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि शिविर के संचालन, आम लोगों के बैठने की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक प्रबंध की जिम्मेदारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी की होगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदन एवं परिवाद पत्रों को पहले से संग्रहित करने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए शिविर की निर्धारित तिथि से 30 दिन पूर्व ही आवेदन प्राप्त करने हेतु कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्राप्त आवेदनों का पंजी संधारित किया जाएगा तथा संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि शिविर के दिन आवेदकों को उनकी शिकायतों पर हुई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी शिविरों में अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचल अधिकारी अपने न्यायालयों में लंबित एवं निष्पादित मामलों की सूची प्रदर्शित करेंगे, ताकि लोगों को अपने मामलों की स्थिति की जानकारी आसानी से मिल सके। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे शिविर में उपस्थित होकर केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम लोगों को उपलब्ध कराएं। शिविर में प्राप्त सभी शिकायतों एवं आवेदनों को "शिविर संवाद समाधान पोर्टल" पर पंजीकृत किया जाएगा तथा तय समयसीमा के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि पंचायत सहयोग शिविर का व्यापक प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों एवं मीडिया के माध्यम से कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को सहयोग शिविर के दौरान विधि–व्यवस्था, सुरक्षा एवं भीड़ नियंत्रण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डीएम एसएफसी, वरीय उपसमाहर्ता स्थापना शाखा, डीआईओ एवं आईटी मैनेजर सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

अपने क्षेत्र के खबर भेजने या विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें
7033325120
9931609015

नालंदा में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कमी की अफवाह बेबुनियाद, प्रशासन ने कहा-पर्याप्त स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं

केशववाणी शंकर कुमार की रिपोर्ट
बिहारशरीफ (नालंदा)। नालंदा जिले में पेट्रोल–डीजल और रसोई गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिले में किसी प्रकार की कमी नहीं है। इस संबंध में मंगलवार को जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में तेल विपणन कंपनियों के सेल्स ऑफिसरों एवं वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिले के सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं और पेट्रोल–डीजल की आपूर्ति मांग के अनुरूप लगातार की जा रही है। किसी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है।

अतिरिक्त स्टॉक रखने का निर्देश
जिला पदाधिकारी ने तेल कंपनियों को निर्देश दिया कि पेट्रोल–डीजल की आपूर्ति सुचारु बनाए रखते हुए पंपों पर 5 से 10 प्रतिशत अतिरिक्त स्टॉक सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की बाधा आने पर तुरंत वरीय अधिकारियों से समन्वय कर समस्या का समाधान किया जाए, ताकि विधि–व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।

एलपीजी की भी पर्याप्त उपलब्धता
जिला प्रशासन के अनुसार जिले में 54 गैस एजेंसियों के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 8500 घरेलू एलपीजी सिलिंडर की आपूर्ति की जा रही है। उपभोक्ताओं को बुकिंग के आधार पर नियमित रूप से गैस उपलब्ध कराई जा रही है।

पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा
जिले में एलपीजी पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से बिहारशरीफ, राजगीर और सिलाव में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा है। कई वार्डों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है और उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक 1853 उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन दिया जा चुका है।

संस्थानों को प्राथमिकता
प्रशासन ने आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, सामुदायिक रसोई और आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

शिकायत के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय
एलपीजी से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम (टोल फ्री नंबररू 06112–233168) चालू किया गया है। उपभोक्ता यहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
जिला पदाधिकारी ने आम लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराएं नहीं। साथ ही, यदि कहीं पेट्रोल–डीजल या गैस सिलिंडर की जमाखोरी, कालाबाजारी या घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की जानकारी मिले, तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में ईंधन और रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

बिहारशरीफ में 'प्रसाद डेन्टल क्लिनिक' का भव्य शुभारम्भ, क्षेत्र को मिली आधुनिक दंत चिकित्सा सुविधा

केशववाणी बिहारशरीफ (नालंदा)। शहर के नईसराय स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के सामने बुधवार को प्रसाद डेन्टल क्लिनिक का भव्य उद्घाटन किया गया।इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉ. अमित कुमार फीता काटकर क्लिनिक का शुभारम्भ किया।इस मौके पर मुख्य डॉ. अमित कुमार ने कहा कि प्रसाद डेन्टल क्लिनिक में दांतों से संबंधित सभी प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है।यह दंत अस्पताल आसपास के लोगों के लिए बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सु. विधा प्रदान करेगा।कार्यक्रम की शुरुआत पूजा–अर्चना के साथ हुई,जिसके बाद उपस्थित लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। उद्घाटन समारोह में स्थानीय लोगों, गणमान्य व्यक्तियों और क्षेत्र के कई चिकित्सकों की उपस्थिति रही।क्लिनिक के संचालक डॉ. रविन्द्र कुमार (डेन्टल सर्जन, इंदौर) ने बताया कि इस क्लिनिक में आधुनिक उपकरणों के साथ दांत,मुंह,जबड़ा एवं पायरिया सहित सभी प्रकार के दंत रोगों का समुचित इलाज किया जाता है,जिससे स्थानीय लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ दंत चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।इस अवसर पर डॉ. संजीव कुमार, नितेश कुमार,अविनाश कुमार, सूर्यदेव सिंह एवं आशुतोष आर्या (उर्फ पुट्टु जी) मोहम्मद संजर, डॉ कैसर, डॉ सुलतान सहित शहर के कई गणमान्य डॉक्टर लोग मौजूद रहे।स्थानीय लोगों ने क्लिनिक के खुलने पर खुशी जताई और इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा बताया।

नालंदा में पॉक्सो मामले में बड़ा फैसला – दोषी को 25 साल की सख्त सजा, कोर्ट का कड़ा संदेश

केशववाणी प्रेम सिंघानिया की रिपोर्ट
बिहारशरीफ (नालंदा)। नालंदा जिले में पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक गंभीर मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में नालंदा पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्य और समय पर दाखिल चार्जशीट ने अहम भू. मिका निभाई। जानकारी के अनुसार, माननीय एडीजे–04 न्यायालय, बिहारशरीफ ने हरनौत थाना कांड संख्या 170/24, धारा 376(3) भा. दं.वि. एवं 4(2) पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी बरहन राम (पिता–सिंगेश्वर राम, निवासी–गोसाई बिगहा, थाना–हरनौत) को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने के बाद अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में लोक अभियोजक जगत नारायण सिन्हा ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। नालंदा पुलिस ने इसे न्याय व्यवस्था की बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में त्वरित अनुसंधान और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत कर पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए वह पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बिहार खेल विश्वविद्यालय में नामांकन की तिथि बढ़ी, बीपीईएस, पीजीडीएससी और पीजीडीएसएम पाठ्यक्रमों में अब 15 मई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

खेल प्रशिक्षण और खेल प्रबंधन में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए बड़ा अवसर

केशववाणी शंकर कुमार की रिपोर्ट राजगीर (नालंदा)। बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 15 मई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में आधिका. रिक सूचना जारी की है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार शारीरिक शिक्षा एवं खेल में स्नातक (बीपीईएस), खेल प्रशिक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएससी) तथा खेल प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएसएम) पाठ्यक्रमों में नामांकन लिया जाएगा। चार वर्षीय ठचै पाठ्यक्रम में कुल 50 सीटें निर्धारित की गई हैं। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के अनुरूप संचालित किया जाएगा।

खेल प्रशिक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएससी) पाठ्यक्रम में कुल 100 सीटें निध. ारित हैं। इसमें एथलेटिक्स, क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल एवं वॉलीबॉल जैसे खेल शामिल हैं। प्रत्येक खेल के लिए 20 सीटें निर्धारित की गई हैं। यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम होगा, जिसमें दो से. मेस्टर होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि यह पाठ्यक्रम एनएसएनआईएस पटियाला, एलएनआईपीई ग्वालियर एवं अन्य प्रमुख खेल सं. स्थानों के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। खेल प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएसएम) पाठ्यक्रम के लिए कुल 20 सीटें निर्धारित की गई हैं। यह भी एक वर्षीय कोर्स होगा। विश्वविद्यालय के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर वेबसाइट पर जाकर "Admission" सेक्शन के अंतर्गत "ऑनलाइन आवेदन" विकल्प के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, शुल्क, चयन प्रक्रिया और नाम. ांकन से संबंधित सभी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को नियमित रूप से वेबसाइट देखने की सलाह दी गई है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अर्हता परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे निर्धारित समय तक अंकपत्र एवं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जमा कर दें। नामांकन संबंधी जानकारी के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। अभ्यर्थी कार्य दिवसों में सुबह 10रू30 बजे से शाम 5 बजे तक 9691639627, 9102380222 एवं 8210015003 पर संपर्क कर सकते हैं।

सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण को लेकर बैठक आयोजित, प्रमाणीकरण नहीं कराया तो आठ हजार की रुकेगी पेंशन

केशववाणी राकेश कुमार की रिपोर्ट
हरनौत(नालंदा)। हरनौत प्रखंड मुख्यालय स्थित बीपीआरओ भवन में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण कार्य को लेकर प्रखंड एवं नपं के विकास मित्र समेत अन्य के साथ बुधवार को बैठक हुई ।यह बैठक बीडीओ डॉ. पंकज कुमार के निर्देशन में हुई। बैठक में विकास मित्र के प्रखंड समन्वयक प्रतीक्षा रवि, समाजिक सुरक्षा कोषांग के डीईओ पवन कुमार समेत अन्य मौजूद थे। वहीं बैठक का संचालन समाजिक सुरक्षा कोषांग के जन सेवक नागेंद्र रजक ने किया।सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जमीनी हकीकत ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। ज्ञात हो कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा तमाम कोशिशें के बावजूद भी हजारों लाभार्थी अब तक अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करा सके हैं, जिससे उनकी पेंशन पर संकट मंडराने लगा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए 30 अप्रैल से 30 मई 2026 तक पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण को लेकर पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। ताकि हर हाल में शत–प्रतिशत पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण किया जा सके। वहीं बीडीओ डॉ कुमार ने बताया कि प्रखंड में 28 हजार 466 पेंशनधारी है। इसमें विधवा, वृद्धजन एवं दिव्यांग शामिल हैं। जिसमें 20 हजार 340 लाभुकों का जीवन प्रमाणीकरण कार्य किया गया है। उन्होंने बाकि को ई केवाईसी कराने की चेतावनी दी है । उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों में कुल छरू योजानाएं शामिल हैं। जिसमें वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को प्रति माह 1100 रुपये की पेंशन खाते में मिलती है।जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना(न्यूनतम 80 वर्ष),इंदिरा गांधी राष्ट्रीयनिशक्तता पेंशन योजना(न्यूनतम 80 फिसदी दिव्यांगता),राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना(न्यूनतम 80 वर्ष),लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना(18–39 उम्र) ,मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना(न्यूनतम 60 वर्ष) एवं बिहार निशक्तता पेंशन योजना (न्यूनतम 40 फिसदी दिव्यांगता) है।बैठक में लाभुकों का जीवन प्रमाणीकरण कार्य समय सीमा के भीतर पूर्ण कराने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बीडीओ ने उपस्थित विकास मित्रों को निर्देशित किया कि पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में अधिक से अधिक लाभुकों की भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए जीवन प्रमाणीकरण कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र लाभुक को योजना के लाभ से वंचित नहीं होने दिया जाएगा।बैठक में 30 अप्रैल से 30 मई तक चलने वाले विशेष अभियान की समीक्षा की गई तथा संबंधित कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। मौके पर संजीवन मांझी, रणजीत,रवेंद्र, राम श्रंगार,सूरज ,सबूजा,किशोर समेत अन्य शामिल थे।

नालंदा में सोलर लोन मेला आयोजित, 15 उपभोक्ताओं को मिला लोन चेक

डीएम बोले–सौर ऊर्जा से भारत बनेगा आत्मनिर्भर नालंदा को बिहार में प्रथम स्थान दिलाने का लक्ष्य

केशववाणी प्रेम सिंघानिया की रिपोर्ट
बिहारशरीफ(नालंदा)। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बुधवार को विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बिहारशरीफ कार्यालय परिसर में सोलर लोन मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी श्री कुंदन कुमार ने की। कार्यक्रम की शुरुआत विद्युत अधीक्षण अभियंता श्री मनीष कांत द्वारा जिला पदाधिकारी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने से हुई। इसके बाद जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं बैंक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने मेले में लगाए गए विभिन्न बैंकों एवं सोलर संवेदकों के स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा सोलर उपकरणों की जानकारी ली। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सोलर लोन स्वीकृति में आने वाली समस्याओं और समाधान पर चर्चा की तथा प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया। डीएम ने विद्युत विभाग परिसर में स्थापित मीटर जांच लैब का भी निरीक्षण किया और मीटर जांच की प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को मीटर जांच के लाभों की सही जानकारी दी जाए, ताकि किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न न हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्युत अधीक्षण अभियंता श्री मनीष कांत ने कहा कि जागरूक उपभोक्ताओं और संवेदकों के सहयोग से नालंदा जिला प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में बिहार में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि पहले जहां लोन रिजेक्शन दर 42 प्रतिशत थी, वह अब घटकर 21 प्रतिशत हो गई है।इस अवसर पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर संयंत्र लगाने हेतु 15 उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर स्वीकृत लोन के चेक प्रदान किए गए। लाभार्थियों में पुष्पा सिन्हा, हिरोमनी पासवान, अखिलेश प्रसाद, धर्मराज प्रसाद, बिक्रम कुमार, संदीप कुमार, विरेन्द्र कुमार, राकेश रंजन, आशा सिन्हा, मृत्युंजय कुमार, चन्द्रमनी प्रसाद, रविरंजन कुमार, विश्वजीत प्रसाद, गोपाल एवं सुधीर कुमार शामिल रहे। विभाग की ओर से सभी लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं ऑन–द–स्पॉट पंजीकरण केंद्र पर आवेदन करने वाले 17 उपभोक्ताओं को भी पुरस्कृत किया गया। मेले में स्टॉल लगाने वाले बैंकों एवं सोलर संवेदकों को भी विभाग की ओर से सम्मान दिया गया। उप विकास आयुक्त श्री शुभम कुमार ने ला. गों से सस्ती वित्तीय सहायता का लाभ लेकर सोलर संयंत्र लगाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी श्री कुंदन कुमार ने कहा कि सौर ऊर्जा आज की जरूरत है। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार वर्ष 2030 तक कुल ऊर्जा क्षमता का 50 प्रतिशत गैर–जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। डीएम ने बैंक, विद्युत विभाग और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर नालंदा को इस योजना में बिहार में प्रथम स्थान दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने छठ महापर्व का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहारवासियों की सूर्य उपासना की परंपरा अब सौर ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ रही है। कार्यक्रम के अंत में विद्युत कार्यपालक अभियंता श्री विकास कुमार ने बताया कि विभिन्न बैंकों द्वारा 93 आवेदकों के लोन आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जबकि मेले में पहुंचे 135 उपभोक्ताओं ने योजना के तहत आवेदन करने में रुचि दिखाई। इस अवसर पर सीजीआरएफ अध्यक्ष मो. कैसर परवेज, वरीय प्रबंधक रतनजीत सिंह, नवीन चंद्र अग्रवाल, संदीप कुमार गुप्ता, मो. परवेज आलम, रूपक कुमार, विपीन कुमार, नीरज, संजीत कुमार, संजय तरुण सहित कई अधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे।

केवीके में 48 सप्ताह की ट्रेनिंग पूरी, 40 प्रशिक्षुओं को मिला प्रशिक्षण

केशववाणी राकेश कुमार की रिपोर्ट
हरनौत (नालंदा)। हरनौत बाजार में स्थित केवीके में नालंदा व आसपास के जिलों के मैट्रिक पास 40 प्रतिभागिय के पहले बैच की 48 सप्ताह कि ट्रेनिंग पूरी हो गई। वे अब कृषि इनपुट डीलर के रुप में काम करेंगे, जिसमें बीज, उर्वरक व कीटनाशकों के अधिकृत विक्रेता होंगे। केवीके के माध्यम से प्रतिभागियों की 48 सप्ताह की ट्रेनिंग पूरी होने पर सर्टिफिकेट दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान केवीके के आलावा एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम भी चला।वहीं प्रशिक्षण समन्वयक सह मृदा विज्ञान के विशेषज्ञ डॉ यूएन उमेश ने बताया कि रोजगार सृजन के साथ किसानों तक कृषि की आधुनिक व उन्नत तकनीकों को पहुंचाने के लिए हैदराबाद के मैनेज द्वारा प्रायोजित देसी तकनीक की ट्रेनिंग दी गई है। कृषि एवं प्रसार सेवा में डिप्लोमा के इस कोर्स को पूरा करने के बाद प्रतिभागी कृषि इनपुट डीलर का लाइसेंस प्राप्त करने के योग्य हो जायेंगे। समापन सत्र में नूरसराय स्थित उद्यान महाविद्यालय नालंदा के प्राचार्य डॉ रंधीर कुमार ने प्रतिभागियों को उनके कामकाज का आधार बताया। उन्होंने कहा कि कृषि कार्य में किसी तरह की समस्या होने पर किसान सबसे पहले इनपुट डीलर के पास ही जाते हैं। इस वजह से इनपुट डीलरों को क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, मिट्टी व पानी की प्रकृति के हिसाब से बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग की जानकारी होना आवश्यक है। ताकि वे किसानों को कृषि इनपुट उपलब्ध कराने के साथ उनका मार्गदर्शन भी कर सकें। प्राचार्य डॉ रंधीर ने बताया कि हमारा जिला आलू की खेती के लिए फेमस है। यहां 26 से 27 हजार हेक्टेयर में आलू की खेती की जाती है। आलू के साथ यहां अन्य सब्जियों के उत्पादन की काफी संभावना है। जरुरी है कि किसान जलवायु अनुकूल खेती करें। इसमें उपलब्ध संसाधनों के आलोक में बीज आदि के चिन्हित प्रभेदों का ही व्यवहार करें। उन्होंने मिट्टी की जांच के आधार पर संतुलित उर्वरकों के व्यवहार पर भी जोर दिया। कृषि अभियंत्रण के सहायक प्राध्यापक ई मनीष कुमार ने कृषि यांत्रिकीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मौसम में काफी उलटफेर देखने को मिल रहा है। जब पानी की जरुरत होती है तो सूखा अथवा बाढ़ की स्थिति बन जाती है। वैसे समय में यंत्रों का उपयोग कर हम समय से खेत की तैयारी, बीज की बुआई व फसल की कटनी कर सकते हैं। इससे समय के साथ लागत की बचत भी हो जाती है। कृषि यंत्रों से मिट्टी की जरुरत के अनुसार खुदाई की जाती है।इस दौरान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉ सीमा कुमारी, गृह विज्ञान के विशेषज्ञ डॉ ज्योति सिन्हा, उद्यान विज्ञान के विशेषज्ञ कुमारी विभा रानी, पशु चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ विद्याशंकर सिन्हा ने प्रतिभागियों को विषय वस्तु के संबंध में उपयोगी जानकारी दी।